

20/10/16
24-11-16

(नियम 26)

9-11-17

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किशनगढ़ (अजमेर)

20/3/10

15/5/12

1. श्रीमन् पुत्र श्री लक्ष्मी कौम जाट निवासी ग्राम हरपुरा ग्राम पंचायत दादिया तहसील
किशनगढ़ (वर्तमान तहसील अंराई) जिला अजमेर राजो

27/1/12

वादी 16/9/17

16/10/13

बनाम

1. हरजी पुत्र श्री भूरा कौम जाट निवासी ग्राम शिरोता तहसील किशनगढ़ (वर्तमान तहसील
अंराई) जिला अजमेर राजो वगैरे

19-12-17

26/2/18

प्रतिवादीगण

26/4/18

31/7/18

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाप्ता दीवानी वास्ते दावे को रेकार्ड पर लेने हेतु

26/9/18

26/12/18

2016/00261

नंबर 129/2016

वकील वादी श्री डी०सी० सेठी

वकील अप्रार्थीगण

तारीख मुगम

हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील मे
जारी हुए

20.09.2016

सह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री डी०सी० सेठी ने
अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाप्ता दीवानी के तहत वास्ते दावे
को पुनः नम्बर पर लेने हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ
संलग्न दरतावेजात का अवलोकन किया, वकील प्रार्थी को सुना
गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की
तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 22-9-16
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

22.9.16

पुनः

दिनांक

वकील

दिनांक

26-10-16

सहायक

जज

दिनांक

दिनांक

3/5

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
नम्बर का
जो इस
की तामिल
जारी

C.No. 129/2016 (147/2016) पंजाब/द्वारा

09/4/2016

पत्रावली पेश की वकील प्रती अनुपस्थित वकील
प्रती को शाम 06:00 PM तक सकल कर तीन
बार आवाज लगाई गई किन्तु वे अनुपस्थित
हैं ना ही उनके कोई प्रतिनिधी उपर अतः प्रती
का प्रतीमा पत्र इसी स्तर पर अदम 1000 रु
पेशी के खारिज किया जाता है पत्रावली प्रोपल
सुमा 1000 नम्बर के कत है


उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)